

इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क

प्रिलमिस के लिये

डंपिंग और एंटी-डंपिंग शुल्क का अर्थ

मेन्स के लिये

भारत के इस नरिणय के नहितार्थ, घरेलू उद्योगों पर डंपिंग का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने चीन, वयितनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के वशिषिट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) लगाने की घोषणा की है।

प्रमुख बदि

- आयात पर लागू किये जाने वाला यह शुल्क 13.07 डॉलर प्रति टन से लेकर 173.1 डॉलर प्रति टन हो सकता है।
- इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, चीन, वयितनाम और कोरिया पर अधरिपति कयिा गया एंटी-डंपिंग शुल्क पाँच वर्ष की अवधके लिये प्रभावी होगा।

कारण

- ध्यातव्य है कविाणजिय एवं उद्योग मंत्रालय की जाँच शाखा व्यापार उपचार महानदिशालय (Directorate General of Trade Remedies-DGTR) ने अपनी जाँच में यह नषिकर्ष नकाला क उक्त देशों (चीन, वयितनाम और कोरिया) द्वारा भारत में अपने उत्पादों का नरियात सामान्य मूल्य से भी से कम मूल्य पर कयिा गया, जसिके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा।

व्यापार उपचार महानदिशालय (DGTR)

- भारत सरकार ने वर्ष 2018 में 'डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानदिशालय' (Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties-DGAD) के स्थान पर 'व्यापार उपाय महानदिशालय' (DGTR) का सृजन कयिा।
- DGTR का सृजन देश में एक व्यापक एवं त्वरति व्यापार सुरक्षा व्यवस्था के नरिमाण के उद्देश्य से कयिा गया था।

नहितार्थ

- सरकार के इस कदम का उद्देश्य चीन, वयितनाम और कोरिया जैसे देशों से आने वाले सस्ते आयात से घरेलू इस्पात उद्योग और नरिमाताओं की रक्षा करना है।
- आधिकारिक सूचना के अनुसार, सरकार के इस नरिणय का उद्देश्य नषिपक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनश्चिति करना और वदिशी उत्पादकों तथा नरियातकों के समक्ष घरेलू उत्पादकों को एक समान अवसर प्रदान करना है।
- ध्यातव्य है कविाणजिय सरकार द्वारा यह एंटी-डंपिंग शुल्क ऐसे समय में अधरिपति कयिा गया है, जब भारत-चीन के संबंधों में तनाव काफी अधिक बढ गया है, भारत-चीन सीमा पर हुई हसिक झड़प के बाद खास तौर पर भारत में चीन वरिधी स्वर तेज़ हो रहे हैं, ऐसे में भारत के इस नरिणय को चीन के लिये एक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है।

डंपिंग और एंटी-डंपिंग शुल्क का अर्थ?

- प्रायः डंपिंग शब्द का प्रयोग सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में ही किया जाता है, जहाँ डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के एक निरमाता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने करने से होता है।
- उल्लेखनीय है कि डंपिंग, आयात करने वाले देश में उस वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के साथ-साथ वहाँ के घरेलू उद्योग के लाभ को कम करती है।
- वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार, एक देश को अपने घरेलू निरमाताओं की रक्षा करने और उन्हें एक समान अवसर प्रदान करने के लिये इस प्रकार की डंपिंग पर शुल्क लगाने की अनुमति है।
- हालाँकि यह शुल्क किसी अर्द्ध-न्यायिक निकाय जैसे- भारत में व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा गहन जाँच के बाद ही अधिसूचित किया जा सकता है।
- **विश्व व्यापार संगठन** (WTO-World Trade Organisation) की स्वीकृति से, **जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड** General Agreement on Tariff & Trade-GATT) का अनुच्छेद VI देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई देश अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और उनके नुकसान को कम करने के लिये निर्यातक देश में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ उत्पाद के मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा दे तो इसे ही डंपिंगरोधी शुल्क यानी एंटी-डंपिंग शुल्क कहा जाता है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-imposes-anti-dumping-duty-on-certain-steel-products>

